

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तोडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - बसोणा)



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ५५९/२८ दायर दिनांक ०२/१०/२५ नियम दिनांक ०२/१०/२५

क्र.म.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	बसोणा	५८५	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>बसोणा</u> प.ह. <u>बसोणा</u> खतासं. <u>५८५</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर गिरदावर

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्थान कपासन जिला-वित्तोडगढ